न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या :– 251 / 2023 अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. बाबूलाल पिता तगाराम, 2. दानाराम पिता तगाराम, 3. भेराराम पिता तगाराम, 4. मेवाराम पि. तगाराम 5. रेखाराम पि. तगाराम 6. लखाराम पि. तगाराम जाति कुम्हार, निवासी मौखाब खुर्द, तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. उदाराम वल्द सुरताराम कौम कुम्हार निवासी मौखाब खुर्द, तहसील शिव,जिला बाड़मेर। 2. दानाराम पि. वखताराम कौम जाट निवासी मौखाबखुर्द तहसील शिव, जिला बाड़मेर।

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 04.04.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 98 रकबा 12.6666 हैक्टेयर मौजा मौखाब खुर्द, तहसील शिव में आया हुआ है। जिसमें प्रार्थीगण को कृषि कार्य आने जाने के लिये उससे लगते विप्रार्थीगण के आधिपत्य के खेत खसरा नम्बर 304 / 98 रकबा 8.8464 हैक्टयर व खसरा नम्बर 308 / 100 रकबा 0.5827 हैक्टयर हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीनी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीनी को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपने कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते हेतु घोषित भूमि की क्षतिपूर्ति / प्रतिकर राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध है।

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारों को नया रास्ता खोलने की जानकारी दी गई कि मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी तक नवीन रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता / विकल्प नहीं है। प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 304 / 98 रकबा 8.8464 हैक्टेयर किस्म बा.चा. में से रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि व खसरा नम्बर 308 / 100 रकबा 0.5827 हैक्टेयर में से 0.0243 हैक्टयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। प्रस्तावित रास्ता निकटतम व ... है एवं प्रस्तावित रास्ता की चौड़ाई 03 गट्ठा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.02 14:13:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए ... किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को स्वीकार होने से तहसीलदार शिव की मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned with OKEN Scanner

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार शिव की मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 304/98 रकबा 8.8464 हैक्टेयर किस्म बा.चा. में से रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि व खसरा नम्बर 308/100 रकबा 0.5827 हैक्टयर में से 0.0243 हैक्टयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण की खातेदारी तक अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं होना बताया गया है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम एवं लघुतम विकल्प है। प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 03 गट्ठा है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीनी के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 98 रकबा 12.6666 हैक्टेयर मौजा मौखाब खुर्द, पटवार मण्डल मौखाब कला तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के आधिपत्य के खेत खसरा नम्बर 304/98 रकबा 8.8464 हैक्टेयर किस्म बा.चा. में से रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि व खसरा नम्बर 308/100 रकबा 0.5827 हैक्टयर में से 0.0243 हैक्टयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने के आदेश किये जाकर तहसीलदार शिव को अमलदरामद किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

उपखण्ड अधिकारी
शिव

आदेश आज दिनांक 04.04.2025 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.02 14:13:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner